अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय, उपायुक्त, रॉंची

एफ०एस०एस० वाद सं० 17/2015–16

22.11.2022

गुलाब लकड़ा
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी,
सदर अस्पताल परिसर, रॉंची .... परिवादी/आवेदक

बनाम

1. श्रीमति नित्या सिन्हा पिता ब्रज भूषण सिन्हा
2. श्री विकाश प्रसाद पिता विनय शंकर प्रसाद

मेसर्स जिंजर रोल एण्ड स्नैक्स, सिवानी कॉम्प्लेक्स,
टैगोर हिल रोड, रॉंची .... विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई परिवादी गुलाब लकड़ा, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, सदर अस्पताल परिसर, रॉंची एवं अभिहित अधिकारी – सह – अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रॉंची द्वारा अग्रसारित ज्ञापांक 94 दिनांक 26.11. 2015 के माध्यम से न्याय निर्णयन हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ की गई है। परिवादी/आवेदक ने समर्पित आवेदन द्वारा विपक्षी के विरूद्ध सम्मन जारी करने के उपरान्त, उन्हे धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत दण्डित करने का अनुरोध किया है। प्रस्तुत मामले मे अभिहित अधिकारी – सह – अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी –1, रॉंची से सं० 128 दिनांक 26.11.2015 द्वारा न्याय निर्णयन से संबंधित अभियोजन आवेदन पर स्वीकृति प्राप्त है।

न्याय निर्णयन हेतु समर्पित आवेदन क अनुसार परिवादी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के तौर रॉंची क्षेत्र हेतु नियुक्त किये गये है तथा विश्लेषण के निमित खाद्य एकत्रित करने हेतु अधिकृत है। उन्होने दिनांक 15.09.2015 को लगभग 2:00 बजे अपराह्न विपक्षी के दुकान का निरिक्षण किया तथा उनके दुकान से 250 ग्राम X 4 पैकेट "चिली सॉस" का नमूना वि लेशण हेतु क्रय

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1 .	2	3
	-: 2 :-	
	किया। तदोपरान्त उसे चार भाग मे बॉट कर उसे निर्धारित तरीके से सील कर उसे अभिहित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप से लपेट कर उसमे 1157–RAN का कोड अंकित किया तथा उसमे विपक्षी का हस्ताक्षर प्राप्त कर, फार्म VI मे ज्ञापन तैयार करने के उपरान्त उसे विश्लेषण हेतु खाद्य विश्लेषक के पास भेज दिया। खाद्य विश्लेषक द्वारा जारी खाद्य विश्लेषण रिपोर्ट सं० सी०एम०:807/एफ०एस०एस०ए०/2015 दिनांक 23.09.2015 के अनुसार उपरोक्त "चिली सॉस" का नमूने धारा 3(i) (zx) के अन्तर्गत अवमानक है क्योंकि उपरोक्त नमूना की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही है। प्रस्तुत वाद मे सम्मन जारी करने के पश्चात् विपक्षी इस न्यायालय मे उपस्थित हुए, परन्तु उनके द्वारा कारण पृच्छा नोटिस का कोई जवाब दाखिल नही किया गया। अभिलेख के आवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हे इस वाद मे कोई अभिरूचि नही है। अतः यह वाद विपक्षी के अनुपस्थिति मे एकपक्षीय सुनवाई करने के उपरान्त अभिलेख मे मौजूद साक्ष्य के आधार पर अंतिम निर्णय परित करने हेतु निर्धारित किया गया। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी के दुकान से प्राप्त खाद्य के विश्लेषण रिपोर्ट सं० सी०एम०:807/एफ० एस०एस०ए०/2015 दिनांक 23.09.2015 से प्रमाणित होता है कि उपरोक्त "चिली सॉस' का नमूने धारा 3(zx) के अन्तर्गत अवमानक है क्योंकि उपरोक्त नमूना की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही है तथा इस प्रकार विपक्षी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के धारा 51 के अन्तर्गत दोष सिद्ध होता है। धारा 51 के अनुसार कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी खाद्य पदार्थ का जो अवमानक है, मानव उपभोग के लिए, विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय या आयत करता है शास्ती (Penalty) का, जो तीन लाख रूपए तक की हो सकेगी, देय होगा। अतः विपक्षी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता तथा आरोपी द्वारा	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप प्राप्त अनुचित लाभ को ध्यान मे रखते हुए यह कार्यवाही विपक्षी के खिलाफ रू० 25,000/– (रूपये पचीस हजार मात्र) आर्थिक दण्ड के साथ समाप्त की जाती है।

अभिहीत अधिकारी आरोपी से उक्त शास्ती (Penalty) की जमा करने के लिए Adjudication Officer-Cum-Deputy Commissioner, Ranchi के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से शास्ती (Penalty) जमा करने के लिए नोटिस जारी करेंगे। यदि अभियुक्त/विपक्षी डिमांड निर्धारित समय के भीतर जुर्माना जमा करने में विफल रहता है, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत आरोपी के खिलाफ बिहार लोक माँग वसूली अधिनियम के तहत सर्टिफिकेट वाद दर्ज कर जुर्माना वसूल किया जाएगा और तब तक डिफॉल्टर का लाइसेंस (यदि कोई हो) निलंबित रहेगा। इसके अलावा अभिहित अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगे कि, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, अभियुक्त/विपक्षी के खाद्य लाइसेंस के निलंबन रहने के दौरान वे कोई भी खाद्य व्यवसाय शुरू नहीं करेंगे ।

इस आदेश की प्रति अभिहित अधिकारी – सह – अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वर्तमान में अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर रॉची एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, रॉची एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखपित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.04.01 12:56:26 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:24d0:3f92:988a:358d